मध्यप्रदेश शासन,

सामाजिक न्याय विभाग,

मंत्रालय, भोपाल

पृ0क्रमांक/एफ-3-120/2007/26-2 भोपाल, दिनांक 8 फरबरी, 2008

प्रति,

1 समस्त अपर मुखय सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।

2. समस्त विभागाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

3. समस्त संभागीय आयुक्त,
मध्यप्रदेश।

4. समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषयः- निःशक्त छात्रवृत्ति की दरों का पुनरीक्षण।

---

राज्य शासन द्वारा पूर्व में जारी छात्रवृत्ति दरों को अधिक्रमित करते हुए निःशक्त बालक/बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किए जाने हेतु निम्नानुसार छात्रवृत्ति की दरों को निर्धारित किया जाता है-

1. प्राथमिक शिक्षा स्तर-
   (अ) बालक-रूपये 25 प्रतिमाह
   (ब) बालिका-रूपये 35 प्रतिमाह।

2. माध्यमिक शिक्षा स्तर-
   (अ) बालक-रूपये 30 प्रतिमाह
   (ब) बालिका-रूपये 40 प्रतिमाह।

3. उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर-(सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए)-
   (अ) बालक(दैनिक)-रूपये 110 प्रतिमाह
   (ब) बालक(छात्रावासी)-रूपये 500 प्रतिमाह
   (स) बालिका(दैनिक)-रूपये 120 प्रतिमाह
   (द) बालिका(छात्रावासी)-रूपये 500 प्रतिमाह।

4. उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर-(अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिए)-
   (अ) बालक(दैनिक)-रूपये 60 प्रतिमाह
   (ब) बालक(छात्रावासी)-रूपये 50 प्रतिमाह
   (स) बालिका(दैनिक)-रूपये 60 प्रतिमाह
   (द) बालिका(छात्रावासी)-रूपये 60 प्रतिमाह।

5. स्नातक शिक्षा स्तर-(सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए)-
   (अ) बालक/बालिका (दैनिक)-रूपये 250 प्रतिमाह
   (ब) बालक/बालिका (छात्रावासी)-रूपये 500 प्रतिमाह।
6. स्नातक शिक्षा स्तर-(अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिए)-
   (अ) बालक/बालिका (दैनिक)-रूपये 65 प्रतिमाह
   (ब) बालक/बालिका (छात्रावासी)-रूपये 60 प्रतिमाह।

7. स्नातकोत्तर शिक्षा स्तर-(सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए)-
   (अ) बालक/बालिका (दैनिक)-रूपये 300 प्रतिमाह
   (ब) बालक/बालिका (छात्रावासी)-रूपये 525 प्रतिमाह।

8. स्नातकोत्तर शिक्षा स्तर-(अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिए)-
   (अ) बालक/बालिका (दैनिक)-रूपये 60 प्रतिमाह
   (ब) बालक/बालिका (छात्रावासी)-रूपये 50 प्रतिमाह।

टीप- (1) तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में डिप्लोमा/पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत निःशक्त बालक/बालिकाओं को स्नातक स्तर की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जावेगी।

(2) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विभाग द्वारा प्रदाय की जा रही छात्रवृत्ति के अतिरिक्त इस वर्ग के छात्र/छात्राओं को अतिरिक्त रूप से उपरोक्त दर्शाये अनुसार निःशक्त छात्रवृत्ति सामाजिक न्याय विभाग द्वारा भी प्रदाय की जायेगी।

(2) सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजना के तहत पालक/अभिभावक की वार्षिक आय की सीमा अधिकतम रूपये 24,000/- निर्धारित है, जिसे बढ़ाकर अधिकतम रूपये 96,000/-वार्षिक (रूपये छियानवे हजार मात्र) निर्धारित किया जाता है।

(3) कक्षा 8 वीं में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले निःशक्त छात्र/छात्राओं को उच्चतर माध्यमिक स्तर (9 वीं) में नियमित छात्र/छात्रा के रूप में प्रवेश लेने पर एकमुश्त रूपये 2500/-(रूपये दो हजार पांच सौ मात्र) प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किया जावेगा। इसके अतिरिक्त उच्चतर माध्यमिक (12 वीं) की परीक्षा 60 प्रतिशत से अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण करने वाले निःशक्त छात्र/छात्राओं को स्नातक स्तर पर महाविद्यालय में नियमित छात्र/छात्रा के रूप में प्रवेश लेने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में एकमुश्त रूपये 3000/-(रूपये तीन हजार मात्र) प्रदान किया जावेगा । उक्त प्रोत्साहन राशि की प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति योजना के तहत की जावेगी ।

(4) दृष्टिबाधित निःशक्त छात्र/छात्राओं को योजना के तहत स्नातक/ स्नातकोत्तर/तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु क्रमशः रूपये 100 /125/150 वाचक भत्ते के रूप में प्रदान किया जावेगा। उक्त व्यय की प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति योजना के तहत की जावेगी ।

निःशक्त छात्रवृत्ति स्वीकृत करने हेतु आवेदन पत्र (नवीन/नवीनीकरण) का प्रारूप (परिशिष्ट-एक), निःशक्त छात्र/छात्रा को शिक्षा प्रोत्साहन राशि स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र (परिशिष्ट-दो) तथा दृष्टि वाधित छात्र/छात्रा को वाचक भत्ता स्वीकृत करने हेतु आवेदन पत्र (परिशिष्ट-तीन) निर्धारित कर संलग्न है। छात्रवृत्ति स्वीकृत करने संबंधी प्रक्रिया पूर्वानुसार ही रहेगी।

उक्त छात्रवृत्ति/प्रोत्साहन राशि/वाचक भत्ता पर होने वाला व्यय निम्नानुसार मांग संखयाओं के अन्तर्गत विकलनीय होगा-

आयोजना-मांग संखया-80-त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता- शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम (101) निर्धन परिवारों के लिए वैयक्तिक दुर्घटना वीमा योजना, 0101-राज्य आयोजना(सामान्य) (3923) विकलांगों तथा अपंगो की सहायता के लिए योजना- 41-छात्रवृत्तियाँं और वृत्तियांँ-002-छात्रवृत्ति के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

आयोजनेत्तर-मांग संखया-80-त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता-शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम (101) निर्धन परिवारों के लिए वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना, (3923) विकलांगों तथा अपंगो की सहायता के लिए योजना-(9999-आयोजनेत्तर)- 41-छात्रवृत्तियांँ और वृत्तियाँं-002-छात्रवृत्ति के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

आयोजना-मांग संखया-15-अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता-शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण- 02-समाज कल्याण-200-अन्य कार्यक्रम-0103-अनुसूचित उपयोजना ( 75) अंधमूक बधिरों को वृत्तियां-42-सहायक अनुदान-009-पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से योजना क्रियान्वयन हेतु अनुदान के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

आयोजना-मांग संखया-52-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता-शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (75) अंधमूक वधिरों को वृत्तियाँ 42-सहायक अनुदान-009-पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से योजना क्रियान्वयन हेतु
अनुदान अन्तर्गत विकलनीय होगा।

उपरोक्त छात्रवृत्तियों/प्रोत्साहन/वाचक भत्ते की दरें 1 जुलाई 2007 से प्रभावशील होंगीं।
संलग्नः-उपरोक्तानुसार आवेदन पत्रों के प्रारूप

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.एन.बैरवा)
अपर मुखय सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय विभाग

पृ0क्रमांक/एफ-3-120/2007/26-2 भोपाल, दिनांक 8 फरबरी, 2008

प्रतिलिपि-

1. निज सचिव, मा.मंत्री, सामाजिक न्याय विभाग, मध्यप्रदेश शासन।
2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर मध्यप्रदेश।
3. आयुक्त, पंचायत एवं सामाजिक न्याय, मध्यप्रदेश भोपाल को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. कुल सचिव, विश्वविद्यालय, भोपाल / इन्दौर/ उज्जैन/जबलपुर/ सागर/ ग्वालियर/ रीवा की ओर पालनार्थ।
5. कुल सचिव,राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,भोपाल
6. कुल सचिव,जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय,जबलपुर
7. कुल सचिव,ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय,चित्रकूट,जिला सतना
8. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल/इन्दौर/ उज्जैन/ जबलपुर/ सागर/ग्वालियर/रीवा की ओर समस्त शासकीय/ स्वशासी महाविद्यालयों के प्राचार्यो को पृष्ठांकित करने हेतु ।
9. अधिष्ठाता,चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल/इन्दौर/जबलपुर/ ग्वालियर/ रीवा की ओर पालनार्थ।
10. प्राचार्य,दंत चिकित्सा महाविद्यालय,इन्दौर
11. प्राचार्य, मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान,(एम.ए.एन.आई.टी.) भोपाल की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12 समस्त मुखय कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
13 समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक, पंचायत एवं सामाजिक न्याय, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
14 समस्त जिला संयोजक/सहायक आयुक्त, आदिवासी तथा अनुसूचित जाति कल्याण, मध्यप्रदेश।

उप सचिव,<br>
मध्यप्रदेश शासन,<br>
सामाजिक न्याय विभाग